सं०सं०–1/अनु०ना०में०कॉ०–04/2012–.....01.....(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषकः– **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज,
गया।

पटना, दिनांक–24 अप्रैल, 2012

विषयः–अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 13,25,91,400/– (तेरह करोड़ पच्चीस लाख इक्यानवे हजार चार सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत मगध मेडिकल कॉलेज को विपत्र कोड एन 2210051050007 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 13,25,91,400/– (तेरह करोड़ पच्चीस लाख इक्यानवे हजार चार सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस आवंटन में मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में दी गई राशि मशीनों एवं उपस्करों को क्रियाशील बनाये रखने एवं रख रखाव के लिए है।

5. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0007–मगध मेडिकल कॉलेज, गया मांग संख्या 20, विपत्र कोड– एन 2210051050007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संबंधित विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी।

6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। समय–समय पर वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

7. इस आवंटनादेश में प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पत्रांक 633 एवं 634 दिनांक 31.03.2012 द्वारा याचित एवं राज्यादेश संख्या 192(1), दिनांक 21.03.2012 आवंटनादेश संख्या 138(1)ब०, दिनांक 26.03.2012 एवं अन्य आवंटनादेश द्वारा आवंटित राशि से संबंधित विपत्रों की विगत वित्तीय वर्ष में कोषागार द्वारा निकासी नहीं हो पाने के कारण विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों में याचित आवंटन की राशि भी समाहित है ।

क्रमशः

24/4/2012

8. इस आवंटनादेश में मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव के लिए भी मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में राशि समाहित है ।

9. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्मत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी (टी0वी0 संख्या एवं तिथि सहित) प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रतिवेदन ससमय प्राप्त नहीं होता है तो इसकी सारी जवाबदेही आप पर निर्धारित की जायेगी।

11. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/अनु०ना०में०कॉ०–04/2012–...01...(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक–24 अप्रैल, 2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/ जिलाधिकारी, गया/ कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

मगध मेडिकल कॉलेज, गया विपत्र कोड एन 2210051050007 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन

विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	66123000	59510700	6612300
01 03 जीवन यापन भत्ता	44305000	39874500	4430500
01 04 मकान किराया भत्ता	6615000	5953500	661500
01 06 चिकित्सा भत्ता	525000	472500	52500
01 07 अन्य भत्ता	53000	47700	5300
योग– वेतन एवं भत्ते	**117621000**	**105858900**	**11762100**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	250000	250000
11 01 यात्रा व्यय	210000	105000	105000
13 01 कार्यालय व्यय	5400000	5400000	0
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	200000	100000	100000
13 03 दूरभाष	155000	77500	77500
13 04 विद्युत प्रभार	5000000	2500000	2500000
13 05 विधि प्रभार	50000	25000	25000
13 06 वर्दी / पोशाक	150000	75000	75000
14 01 किराया महसूल एवं कर	50000	25000	25000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	50000	25000	25000
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	50000	50000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	500000	250000	250000
21 02 दवा भण्डार	200000	100000	100000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	30000000	0	30000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	5000000	2500000	2500000
34 01 छात्रवृत्ति / वजीफा	10500000	5250000	5250000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	10000000	10000000	0
कुल योग :–	**185686000**	**132591400**	**53094600**

मात्र (तेरह करोड़ पचीस लाख इक्यानबे हजार चार सौ) रूपए

24/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव।

1(1)प्र॰
24-4-12